

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 634
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 19-06-18

प्रार्थी श्री अमृत पिठवदा :: निर्णय ::

जति 21/7 उम्र 42 नि० घाणीवरा तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अनियान 2018 लोक
अदालत फरबेज दिनांक 19-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
111, 128 ले०२०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा घाणीवरा चायत समिति
लेवरा में स्थित खाता संख्या 3 पर आराजी नं० 511 कुल 1 बीघा
6 बिस्वा किता 1 योग रकबा 6 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि
काशत करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद
होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर
पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के
साथ अप्रार्थी सवजी (पिठवदा) नि० घाणीवरा ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है।
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम घाणीवरा के खसरा नं० 512 रकबा 1
बीघा 5 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 5 बिस्वा की जमाबंदी सन्वत् 2072-76
की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी
प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काशतकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का
कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा घाणीवरा में स्थित
खाता संख्या 3 पर आराजी नं० 511 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 1
1 कुल रकबा 6 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा घाणीवरा में स्थित खाता संख्या 3 पर आराजी नं० 511
रकबा 6 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बिस्वा विवादग्रस्त
आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक फरबेज
के नैतृत्व में टीम गठीत कर दिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी
की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० प्रार्थी स्वयं
राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर